

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं04(01)चिस्वा/2/23/EFIL-14066

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:-डॉ0 मंजू चन्देल (जन्मतिथि 05.05.1962) कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरायपाटन बून्दी को विभागीय जांच लम्बित
नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 मंजू चन्देल कनिष्ठ विशेषज्ञ
(मेडिसिन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरायपाटन बून्दी अधिवाषिकीय आयु पूर्ण कर दिनांक
31.05.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रही है, के विरुद्ध :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के
अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के
अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ0 चन्देल के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित
नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(निशा मीना)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलेफेयर विभाग, कोटा।
- 2-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
- 3-डॉ0 मंजू चन्देल कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरायपाटन बून्दी।
- 4-प्रभारी, सर्वर रूम निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
- 5-रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6443568



शासन संयुक्त सचिव
Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.04.13 13:13:50 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवाओं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/प्रवि/एम-248/2024/221

दिनांक 24/04/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके राजकाज नं 6443568 दिनांक 13.04.2024 के क्रम में।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ0 मंजू चन्देल (जन्मतिथी 05.05.1962) कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरायपाटन बून्दी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग/पेंशन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- कोटा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को भेजकर लेख है कि डॉ0 मंजू चन्देल (जन्मतिथी 05.05.1962) कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरायपाटन बून्दी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है। साथ ही आपके अभिलेखानुसार भी विभागीय जाँच सुनिश्चित करावे।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरायपाटन बून्दी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वेबसाइट पर सम्बन्धित अधिकारियों की जी मेल-आईडी पर अपलोड करावे।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/एटीसी (सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग, मुख्यालय)।
8. डॉ0 मंजू चन्देल (जन्मतिथी 05.05.1962) कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरायपाटन बून्दी
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।